कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 462/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 21.12.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 21.12.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

प्रेस विज्ञप्ति

जनपद – आजमगढ़ | दिनांक – 21.12.2025

मिशन शक्ति अभियान फेज–5.0 के तहत आजमगढ़ पुलिस ने बिछड़े परिवार को मिलाया

➡ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद आजमगढ़ में मिशन शक्ति अभियान फेज–5.0 के अंतर्गत महिलाओं से संबंधित पारिवारिक विवादों के त्वरित, संवेदनशील एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण हेतु निरंतर प्रभावी कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में दिनांक 21.12.2025 को परिवार परामर्श केंद्र पर कुल 17 पत्रावलियों में संबंधित पक्षों को नोटिस एवं दूरभाष के माध्यम से सुनवाई हेतु आमंत्रित किया गया, जिनमें से 14 पत्रावलियों में पक्षों की उपस्थिति सुनिश्चित हुई। उपस्थित प्रकरणों में 06 पत्रावलियों में पति–पत्नी द्वारा आपसी कुशलता प्रकट की गई।

➡ परिवार परामर्श केंद्र के अधिकारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों एवं प्रभावी काउंसलिंग के उपरांत 01 पत्रावली में पति–पत्नी के मध्य आपसी सहमति से समझौता कराकर बिछड़े परिवार को पुनः एकजुट किया गया। उक्त प्रकरण में आवेदिका द्वारा अपने पति व ससुराल पक्ष पर मारपीट, गाली-गलौज, प्रताड़ना तथा बच्चों के भरण-पोषण न करने के आरोप लगाए गए थे, जिसे परामर्श के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया गया।

➡ इसके अतिरिक्त 01 पत्रावली आवेदिका की उदासीनता एवं माननीय न्यायालय में वाद लंबित होने के कारण बंद की गई, जबकि शेष पत्रावलियों में संबंधित पक्षों को अग्रिम तिथि निर्धारित कर सुनवाई हेतु अवगत कराया गया।

➡ जनपद आजमगढ़ पुलिस मिशन शक्ति अभियान के माध्यम से महिलाओं को न्याय, सुरक्षा एवं सम्मान प्रदान करने तथा पारिवारिक विवादों का समाधान संवाद एवं परामर्श के माध्यम से कर सामाजिक सौहार्द बनाए रखने हेतु निरंतर प्रतिबद्ध है।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना – अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

थाना अतरौलिया पुलिस की साइबर हेल्पडेस्क की बड़ी सफलता, दो पीड़ितों को कुल ₹16,500/- की धनराशि वापस कराई गई

➡ साइबर अपराध से पीड़ित नागरिकों को त्वरित राहत प्रदान करते हुए थाना अतरौलिया की साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा दो अलग-अलग साइबर फ्राड मामलों में पीड़ितों को कुल ₹16,500/- (सोलह हजार पांच सौ रुपये) की धनराशि सफलतापूर्वक वापस कराई गई है।

➡ प्रथम प्रकरण में दिनांक 10.04.2025 को आवेदक दिनेश यादव पुत्र दयाराम यादव निवासी लोहरा, थाना अतरौलिया द्वारा ₹7,500/- की गलत ऑनलाइन पेमेंट हो जाने के संबंध में साइबर शिकायत संख्या 33104250042678 पंजीकृत कराई गई थी। शिकायत की जांच एवं विधिक कार्यवाही के उपरांत साइबर हेल्पडेस्क टीम द्वारा आवेदक को संपूर्ण धनराशि ₹7,500/- वापस कराई गई।

➡ द्वितीय प्रकरण में दिनांक 29.04.2025 को आवेदक उमाकान्त निवासी कबीरुद्दीनपुर, थाना अतरौलिया द्वारा ऑनलाइन नौकरी दिलाने के नाम पर ₹10,000/- की साइबर ठगी किए जाने के संबंध में साइबर शिकायत संख्या 23104250064359 पंजीकृत कराई गई थी। जांच के दौरान आवेदक की मृत्यु हो जाने के पश्चात् बैंक के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करते हुए आवेदक की पत्नी सरिता देवी को ₹9,000/- की धनराशि वापस कराई गई।

➡ दोनों प्रकरणों में साइबर शिकायतों की जांच के क्रम में प्रभारी साइबर हेल्पडेस्क उ0नि0 अभिषेक यादव एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए आशीष कुमार द्वारा तत्परता एवं दक्षता के साथ कार्यवाही करते हुए पीड़ितों को आर्थिक राहत प्रदान की गई।

➡ पुलिस टीम

प्रभारी साइबर हेल्पडेस्क – उ0नि0 अभिषेक यादव, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए – आशीष कुमार, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

➡ थाना अतरौलिया पुलिस आमजन से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी या ऑनलाइन फ्राड की स्थिति में तत्काल साइबर हेल्पलाइन अथवा निकटतम थाना पर शिकायत दर्ज कराएं, जिससे समय रहते उचित कार्यवाही कर धनराशि सुरक्षित कराई जा सके।

प्रेस विज्ञप्ति

थाना – जहानागंज, जनपद आजमगढ़

शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण व ब्लैकमेल करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

➡ दिनांक 20.12.2025 को थाना जहानागंज पर प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर अभियुक्त द्वारा एक युवती को शादी का झांसा देकर लगभग एक वर्ष तक शारीरिक संबंध स्थापित करने, आपत्तिजनक फोटो/वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने तथा बाद में शादी से इंकार करने के संबंध में मु0अ0सं0 391/25 धारा 69 बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

उक्त मुकदमे की विवेचना के क्रम में

➡ दिनांक 21.12.2025 को व0उ0नि0 वीरेंद्र यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त आकाश यादव पुत्र कन्हैया यादव निवासी सोनापुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ को अकबेलपुर क्षेत्र से समय करीब 10:50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

आकाश यादव पुत्र कन्हैया यादव

निवासी – सोनापुर, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ उम्र – लगभग 22 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 391/25 धारा 69 बीएनएस, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

व0उ0नि0 वीरेंद्र यादव

हे0कां0 प्रेम शंकर चौहान

का0 अमरजीत यादव

थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति, दिनांक 21.12.2025

थाना – मेहनगर, जनपद आजमगढ़

चोरी की मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, बदली हुई नंबर प्लेट बरामद

➡ दिनांक 21.12.2025 को थाना मेहनगर क्षेत्र अंतर्गत कस्बा सिंहपुर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई। उ0नि0 अक्षय प्रताप सिंह मय पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के समय अभियुक्त रामू उर्फ रामलाल पुत्र उछाहू निवासी कटहन, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़ के कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिस पर बदली हुई नंबर प्लेट UP 50 BL 8195 लगी हुई थी।

➡ उक्त बरामदगी के संबंध में थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0 545/25 धारा 303(2)/317(2), 318(4), 338, 336(3)/340(2) बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही एवं विवेचना प्रचलित है।

➡ गिरफ्तारी/अनावरण का विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 21.12.2025 को उ0नि0 अक्षय प्रताप सिंह मय हमराह का0 चंदन राय, का0 नीरज कुमार एवं का0 सुदीप यादव द्वारा कस्बा सिंहपुर में वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान अभियुक्त रामू उर्फ रामलाल को समय करीब 10:20 बजे चोरी की मोटरसाइकिल के साथ हिरासत में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

रामू उर्फ रामलाल पुत्र उछाहू

निवासी – कटहन, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण

एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल, बदली हुई नंबर प्लेट UP 50 BL 8195

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. उ0नि0 अक्षय प्रताप सिंह
2. का0 चंदन राय
3. का0 नीरज कुमार
4. का0 सुदीप यादव

पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण की दिशा में निरंतर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक- 21.12.2025

थाना – बरदह, जनपद आजमगढ़

खेत की सिंचाई के विवाद में तलवार से जानलेवा हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, हथियार बरामद।

दिनांक 21.12.2025 को थाना बरदह क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पसिका में खेत की सिंचाई को लेकर हुए विवाद में तलवार से जानलेवा हमला करने वाले अभियुक्त को पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है।

➡ वादी दिनेश कुमार राय पुत्र मंगला राय निवासी ग्राम पसिका द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 21.12.2025 को प्रातः लगभग 08:30 बजे मौजा कम्मरपुर स्थित अपने खेत की सिंचाई के दौरान गांव के ही निवासी विजयशंकर गिरी पुत्र श्रीपति गिरी द्वारा पाइप हटाने को लेकर विवाद किया गया। विरोध करने पर अभियुक्त ने अपनी दुकान से तलवार लाकर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से गर्दन पर वार किया, जिसे वादी ने हाथों से रोक लिया, जिससे उसके दोनों हाथों में गंभीर चोटें आई। घटना के पश्चात अभियुक्त मौके से फरार हो गया।

➡ उक्त सूचना के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 405/25 धारा 109/115(2)/352 BNS पंजीकृत किया गया तथा तलवार की बरामदगी के उपरांत आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 की बढ़ोत्तरी की गई।

➡ पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त विजयशंकर गिरी को दिनांक 21.12.2025 को समय 14:00 बजे ग्राम चौकी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक अदद तलवार बरामद की गई है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा अपने कृत्य के लिए माफी मांगी गई।

➡ गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी थाना बरदह पर एक आपराधिक मुकदमा पंजीकृत है।

➡ गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, हे0का0 दिनेश कुमार यादव एवं का0 पंकज यादव शामिल रहे।